न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2013 जिला दमोह

प्रदीप राय पुत्र श्री ओमप्रकाश राय, निवासी गायत्री नगर टण्डन बगीचा, सिविल वार्ड 9, दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) --- अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, आबकारी, जिला दमोह (म.प्र.) --- प्रत्यर्थी

न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक आर.ई.सी./13/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28.03.13 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अपीलार्थी ने कलेक्टर, दमोह के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे वार्ड क्रमांक 8 टण्डन बगीचा, गायत्री नगर में राजमहल लॉज में वर्ष 2005 से विदेशी एफ.एल.–3 वीयर वार खुल गया है, जिससे यहां के रिहायसी लोगों तथा गायत्री मंदिर जाने वाले दर्शनायार्थियों को शराबीयों से निकलने से यहां के लोगों में भय एवं आंतक माहौल व्याप्त है तथा एफ.एल.–3 वीयर वार हर वर्ष लायसेंसधारी की इच्छा पर नवीनीकरण होता रहता है, इसके गैर कानून रूप से खुलने के निम्न कारण बिन्दुवार हैं:–

    1. यहकि, गायत्री नगर, टंडन बगीचा में जिस गली में यह खोला गया है उस लाइन में प्रस्तावित 2011 जनगणना में नये दिये गये मकान नं. 09 से 628 नं. के मकान है, जिसमें लायसेंसधारी का मकान नं. बीच में 614 है।
    2. यहकि, लायसेंसधारी एफ.एल.–3 वीयर वार वाली लाइन के सामने वाले भवनों में मकान 150 से 626 नं. के मकान है, जो आवासीय है।
    3. यहकि, एफ.एल.–3 विदेशी मदिरा वियर वार मालिक प्रिंस राय पुत्र संजय राय होटल राजमहल को स्थान घंटा घर दमोह/स्टेशंन रोड दमोह की जगह आवासीय कॉलोनी के अंदर गायत्री नगर, टंडन बगीचा के अंदर खोल दिया गया है, जोकि नियम विरूद्ध है और यहां रहन वाले सैकडों हजारों लोगों के व्यापक हितों के खिलाफ है।
    4. यहकि, इसी सड़क के आगे डिग्री कॉलेज के पीछे भी पचासों आवासीय मकान है, जहां से भी शराबी लोग शराब पीकर निकलते हैं।
    5. यहकि, उक्त राजमहल लॉज के ठीक सामने और कुछ आगे वॉये तरह भी चार गलिया है, जहां सैकडों आवासीय मकान है, जहां रहवासीय लोग निवास करते करते हैं।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील1969-दो/2013 जिला दमोह प्रदीप राय विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 13-08-2018 को आवेदक के अभिभाषक **श्री** के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक **श्री** दिलीप सिंह तोमर के तर्क सुने गये । 3. उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.ई.सी./13/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28-03-2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. आबकारी आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि जिला आबकारी अधिकारी दमोह द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के अनुसार बियर बार सामान्य प्रयुक्ति के नियम 1 के अंतर्गत आपत्ति रहित स्थान पर स्थापित है । म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 में दी गई शक्तियों के अनुक्रम में म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल दिनांक 07-06-2001 को जारी अधिसूचना द्वारा प्रकाशित Rules of General Application के प्रावधानों का उल्लंघन इस प्रकरण में नहीं पाया जाता है । इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है । कलेक्टर दमोह द्वारा इस प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है । अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-10-2010 में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से अपील अमान्य की जाती है ।	

11-9-2018

(1)

2/2	**5.** आबकारी आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष **विधिसंगत** है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में **नहीं** है । फलस्वरूप यह अपील आधारहीन होने से निरस्त की **जाती** है । सदस्य	11.9.2018